रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 498] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 6, 1974/अग्रहायण 15, 1896

No. 498] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 6, 1974/AGRAHAYANA 15, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

ORDER

New Delhi, the 6th December 1974

S.O. 700(E)/18FB/IDRA/74.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 455(E)|18FB|IDRA|73, dated the 31st August, 1973, (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) declared that the operation of all or any of the contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, or other instruments in force immediately before the publication of the said Order in the Official Gazette to which the industrial undertaking known as Messrs. Carter Pooler and Company Private Limited Calcutta is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking shall remain suspended for a period of one year and all rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for a period of one year;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of one year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order for a further period upto and inclusive of the 30th day of August, 1975.

[No. F.1|92|71-CUC]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1974

का०आ० 700(अ) /18 एफ०बी०/आई०डी०आर०ए०/74—यत: केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 455(ई) 18एफ०बी०/आई०डी०आर०ए०/73—तारीख 31 अगस्त, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है), द्वारा, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषित किया है कि राजपत्र में उक्त आदेश के प्रकाशन से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी या किन्हीं संविदाओं, सम्पत्ति हस्तांतरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, या अन्य लिखतों का, जिनकी मैसर्स कार्टर पूलर एण्ड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू हों, प्रवर्तन एक वर्ष की अवधि के लिए निलंबित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व तदधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व एक वर्ष की अवधि के लिए निलंबित रहेंगे;

और यत: केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की कालावधि एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दी जानी चाहिए;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 30 अगस्त, 1975 तक की और अवधि के लिए बढ़ाती है जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है ।

[सं० फा० 1/92/71-सी यू सी]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974